



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कर प्रकरण क्रमांक 14/2025

नितेश कुमार गोयल, 212, लाल गंगा शॉपिंग मॉल, जी. ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़, 492001

..... अपीलार्थी

बनाम

उपायुक्त, आयकर सर्कल-1 (1), रायपुर, आयकार भवन, आकाशवाणी के पास, सिविल लाइन्स,
रायपुर, छत्तीसगढ़, 492001

..... उत्तरवादी

[वाद-शीर्षक वाद सूचना प्रणाली (सीआईएस) से लिया गया है]

अपीलार्थी हेतु : श्री एस. राजेश्वर राव, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु : श्री अमित चौधरी, अधिवक्ता की ओर से श्री अजय कुमारानी, अधिवक्ता।

खण्ड पीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल और माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

बोर्ड पर आदेश

(25.03.2025)

न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल,

1. आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "1961 का अधिनियम") की धारा 260-ए के अधीन प्रस्तुत यह कर अपील इस न्यायालय के दिनांक 09.01.2025 के आदेश द्वारा विनिर्मित किए गए विधि के निम्नलिखित सारवान प्रश्न पर सुनवाई हेतु स्वीकार की गई थी:-

“क्या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आयकर आयुक्त (सीआईटी) के दिनांक 14.02.2024 के आदेश की पुष्टि करने में न्यायोचित है, जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 क के अधीन अपीलार्थी की अपील को इस आधार पर एकपक्षीय रूप से खारिज कर दिया गया था कि नोटिस की तामिली के बावजूद वह उपस्थित नहीं हुआ, एक निष्कर्ष दर्ज करके जो अभिलेख के विपरीत है? ”



2. उपर्युक्त विधि का सारवान प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर निर्धारण हेतु उठता है:

2.1 अपीलार्थी/करदाता, जो एक व्यक्ति है और कंप्यूटर सिस्टम और उसके सहायक उपकरणों के व्यापार में लगा हुआ है, ने दिनांक 31.03.2014 को कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें कुल 16,87,250/- रुपये की आय दर्शाई गई। दिनांक 28.03.2016 को अधिनियम 1961 की धारा 143(3) के अंतर्गत मूल कर निर्धारण पूरा किया गया, जिसके अनुसार बिक्री के 8% की दर से शुद्ध लाभ का अनुमान लगाकर और 1,33,97,283/- रुपये जोड़कर अपीलार्थी/करदाता की कुल आय 1,50,84,533/- रुपये आंकी गई।

2.2 कर निर्धारण अधिकारी के दिनांक 28.03.2016 के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/करदाता ने आयकर आयुक्त (अपील), रायपुर (संक्षेप में "सीआईटी (क)") के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि "चूंकि अपीलार्थी उन्हें जारी किए गए नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहे हैं और मात्र एक के बाद एक स्थगन की मांग कर रहे हैं, इसलिए यह दर्शाता है कि अपीलार्थी अपील को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन के विरुद्ध उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है"। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी/करदाता ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में "आईटीएटी"), रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 16.05.2019 के आदेश द्वारा अपीलार्थी/करदाता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को पुनः विचारार्थ वापस भेज दिया गया।

2.3 विद्वान आईटीएटी, रायपुर द्वारा दिनांक 16.05.2019 को पारित उक्त आदेश के अनुसरण में, प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नए सिरे से कर निर्धारण के लिए लिया गया था, इसलिए, आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग (आईटीबीए) पोर्टल के माध्यम से अपीलार्थी/करदाता को 1961 के अधिनियम की धारा 142(1) के अधीन प्रभावली के साथ नोटिस दिनांक 24.02.2021 और 02.09.2021 को जारी किए गए थे। चूंकि धारा 142(1) के अधीन जारी उक्त वैधानिक नोटिसों पर अपीलार्थी/करदाता द्वारा कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत/नहीं दी गई है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने 1961 के अधिनियम की धारा 144 के अधीन दिनांक 08.09.2021 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाया गया। अंततः दिनांक 20.09.2021 को कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम 1961 की धारा 254 और 114 ख के साथ धारा 144 के अधीन उक्त कर निर्धारण कार्यवाही को बंद कर दिया और अपने पहले के कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.03.2016 को दोहराया, जिसके अधीन बिक्री के 8% की दर से शुद्ध लाभ का अनुमान लगाकर और उसमें 1,33,97,283/- रुपये जोड़कर अपीलार्थी/कर निर्धारणकर्ता की कुल आय 1,50,84,533/- रुपये आंकी गई थी। कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 20.09.2021 को नया कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए यह भी देखा



कि वैधानिक नोटिस की तामील के बावजूद अपीलार्थी/कर निर्धारणकर्ता उक्त नोटिस का अनुपालन करने या कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिसके लिए प्रकरण को विद्वान आईटीएटी, रायपुर द्वारा प्रतिप्रेषित किया जा रहा है।

2.4 कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 20.09.2021 के उक्त कर निर्धारण आदेश से व्यथित होकर, पुनः दूसरी बार अपीलार्थी/करदाता ने सीआईटी(ए) के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे भी गैर-अभियोजन के आधार पर दिनांक 14.02.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी/करदाता ने विद्वान आईटीएटी, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे भी सीआईटी(ए) एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि करते हुए दिनांक 16.08.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आक्षेपित आदेशों की वैधता, सत्यता एवं शुद्धता पर प्रश्न उठाते हुए, अपीलार्थी/करदाता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है, जिसे इस आदेश के पैरा-01 में संक्षेपित विधि के सारवान प्रश्न पर सुनवाई हेतु पहले ही स्वीकार कर लिया गया है।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस. राजेश्वर राव ने उक्त आदेश का इस आधार पर विरोध किया कि चूंकि सीआईटी (ए) के समक्ष अपील में अपीलार्थी ने ई-मेल के माध्यम से नोटिस की तामिली का विकल्प नहीं चुना था, इसलिए, 1961 के अधिनियम की धारा 142 (1) के अधीन नोटिस अपीलार्थी को वैध रूप से तामील नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें अपीलार्थी को पंजीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा भौतिक रूप से तामील किया जाना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि आईटीबीए पोर्टल पर नोटिस अपलोड करने मात्र से उत्तरवादी-राजस्व अधिकारियों को अपीलार्थी को भौतिक रूप से नोटिस देने से छूट नहीं मिल जाती। इस प्रकार, अपीलार्थी/करदाता को सुनवाई के उचित अवसर से वंचित किया गया, जिसके कारण, उनके प्रति बहुत अधिक पूर्वाग्रह हुआ है, क्योंकि उनकी अपील गैर-अभियोजन के आधार पर खारिज कर दी गई है। विद्वान अधिवक्ता इस विवाद्यक पर अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए **मुंजाल बीसीयू सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बनाम आयकर आयुक्त (छूट) 1** के प्रकरण में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हैं। इसलिए, वर्तमान अपील को पूर्णतः स्वीकार किया जाए।

4. प्रतिपक्ष, उत्तरवादी-राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमारी ने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया तथा इस आधार पर अपील खारिज करने की प्रार्थना की कि अपीलार्थी/करदाता कर निर्धारण प्रक्रिया के दौरान कर निर्धारण अधिकारी तथा सीआईटी (ए) द्वारा जारी वैधानिक नोटिसों का अनुपालन करने तथा उनका जवाब देने में विफल रहा, इसलिए विद्वान सीआईटी (ए) तथा प्रख्यात आईटीएटी, रायपुर ने अपीलार्थी की अपील को उचित रूप से खारिज कर दिया है।



5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है, उनके ऊपर दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

6. वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी/करदाता का प्रकरण यह है कि चूंकि अपीलार्थी ने ई-मेल के माध्यम से नोटिस की तामिली का विकल्प नहीं चुना है, इसलिए वह पंजीकृत/स्पीड पोस्ट मोड के माध्यम से भौतिक नोटिस के माध्यम से सेवा कर सकता था, जो नहीं किया गया है और आईटीबीए पोर्टल पर नोटिस की सेवा/अपलोडिंग मात्र वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी पर नोटिस की वैध सेवा नहीं होगी, इसलिए अपीलार्थी/करदाता को सीआईटी (ए) के समक्ष सुनवाई के अवसर से वंचित किया गया है और आईटीएटी, रायपुर द्वारा भी इस पर विचार नहीं किया गया है और अपील को खारिज कर दिया गया है।

7. बार में उठाए गए तर्क पर विचार करने के लिए 1961 के अधिनियम की धारा 282 और आयकर नियम, 1962 के नियम 127 पर गौर करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

“282. सामान्यतः नोटिस की तामिल। (1) इस अधिनियम के अधीन किसी सूचना या समन या अध्यपेक्षा या आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामिल (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "संसूचना" कहा गया है) उसकी एक प्रति उसमें नामित व्यक्ति को परिदत्त या प्रेषित करके दी जा सकेगी,-

(क) डाक द्वारा या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसी कूरियर सेवाओं द्वारा; या

(ख) समन की तामिल के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन उपबंधित रीति से; या

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ([2000 का 21](#)) के अध्याय IV में दिए गए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में; या

(घ) बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार दस्तावेजों के प्रेषण के किसी अन्य माध्यम से।

(2) बोर्ड ऐसे पतों के लिए नियम बना सकेगा (जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक मेल या इलैक्ट्रानिक मेल संदेश का पता भी है) जिन पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट संसूचना उसमें नामित व्यक्ति को दी जा सकेगी या पारेषित की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक मेल" और "इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश" पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ([2000 का 21](#)) की धारा 66-क के स्पष्टीकरण में दिए गए हैं।]

आयकर नियम, 1962 का नियम 127

**127. नोटिस, समन, मांग-पत्र, आदेश और अन्य संसूचना की तामिली।**

(1) धारा 282 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, पते (इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश के पते सहित) जिन पर अधिनियम के अधीन नोटिस या समन या मांगपत्र या आदेश या कोई अन्य संसूचना (जिसे इस नियम में इसके बाद "संसूचना" कहा जाएगा) वितरित या प्रेषित किया जा सकता है, उप-नियम (2) के अनुसार होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पते निम्नलिखित होंगे-

(क) धारा 282 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में उपबंधित तरीके से वितरित या प्रेषित संचार के लिए-

(i) पता प्राप्तकर्ता के पैन डेटाबेस में उपलब्ध पता; या

(ii) आयकर रिटर्न में उपलब्ध पता जिससे संचार संबंधित है; या

(iii) अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर रिटर्न में उपलब्ध पता; या

(iv) अभिभाषक के कंपनी होने की स्थिति में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध पंजीकृत कार्यालय का पता:

बशर्ते कि संचार मद (i) से (iv) में उल्लिखित पते पर वितरित या प्रेषित नहीं किया जाएगा, जहां पता प्राप्तकर्ता संचार के प्रयोजनों के लिए आयकर प्राधिकारी या संचार जारी करने वाले ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को लिखित रूप में कोई अन्य पता प्रस्तुत करता है:

बशर्ते कि जहां संचार मद (i) से (iv) में उल्लिखित पते पर या पहले परंतुक में निर्दिष्ट पते द्वारा दिए गए किसी अन्य पते पर वितरित या प्रेषित नहीं किया जा सकता है, संचार निम्नलिखित पते पर वितरित या प्रेषित किया जाएगा:

(i) किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक के पास उपलब्ध करदाता का पता, जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्थान शामिल है); या

(ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (जे) में निर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल के पास उपलब्ध करदाता का पता; या

(iii) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) में परिभाषित बीमाकर्ता के पास उपलब्ध करदाता का पता; या



(iv) आयकर निदेशक (खुफिया और आपराधिक जांच) या आयकर संयुक्त निदेशक (खुफिया और आपराधिक जांच) को नियम 114 घ के उप-नियम (1) के तहत फॉर्म संख्या 61 में प्रस्तुत किए गए करदाता का पता; या

(v) आयकर निदेशक (खुफिया और आपराधिक जांच) या आयकर संयुक्त निदेशक (खुफिया और आपराधिक जांच) को नियम 114 ड के उप-नियम (1) के तहत फॉर्म संख्या 61 क में प्रस्तुत किए गए करदाता का पता; या

(vi) सरकार के अभिलेखों में उपलब्ध करदाता का पता; या

(vii) अधिनियम की धारा 10 के खंड (20) के नीचे स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध करदाता का पता।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित या प्रेषित संचार के लिए:

(i) उस प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न में उपलब्ध ई-मेल पता जिससे संचार संबंधित है; या

(ii) प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर रिटर्न में उपलब्ध ई-मेल पता; या

(iii) यदि प्राप्तकर्ता कोई कंपनी है, तो कंपनी का ई-मेल पता जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है; या

(iv) प्राप्तकर्ता द्वारा आयकर प्राधिकारी या ऐसे आयकर प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता।

(3) आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) इलेक्ट्रॉनिक संचार के सुरक्षित प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानकों को निर्दिष्ट करेंगे और ऐसे संचार के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

8. उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के प्रकाश में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर आते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने ई-मेल मोड के माध्यम से नोटिस की तामिली का विकल्प नहीं चुना और, फॉर्म 35 में उल्लिखित ई-मेल पते पर भी, अपीलार्थी को अपील में नोटिस नहीं दिया गया, हालांकि, इसे अपीलार्थी के पुराने ईमेल पते पर भेजा गया है और आईटीबीए पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है। इस संबंध में, **मुंजाल बीसीयू सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप** (पूर्वोक्त) के निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि आईटीबीए पोर्टल (ई-पोर्टल) पर नोटिस की तामिली वैध तामिली नहीं है और पैरा-08 से 10 में निम्नानुसार देखा गया है:



“8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि कोई भी कार्यवाही करने से पहले, नोटिस का संचार ऊपर बताए गए प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। प्रावधानों में ई-पोर्टल पर नोटिस डालने से संचार को "अनुमानित" करने का उल्लेख नहीं है। इन परिस्थितियों में हमेशा एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। किसी व्यक्ति या कंपनी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह विभाग के ई-पोर्टल को हर समय खुला रखे ताकि उसे पता चल सके कि विभाग फॉर्म आदि जमा करने के संबंध में क्या कर रहा है। आयकर प्रावधानों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निहित हैं और उनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक है।

9. उपरोक्त को देखते हुए, इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि याचिकाकर्ता को अधिनियम 1961 की धारा 12 ए(1)(एसी)(iii) के अंतर्गत कार्यवाही के संबंध में अपनी दलीलें रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है और उसे कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। इसलिए, वह अपना जवाब दाखिल करने का हकदार है और विभाग निश्चित रूप से इसकी जांच करने और उसके बाद एक नया आदेश पारित करने का हकदार होगा।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और दिनांक 16.01.2023 (अनुलग्नक पी-5) के आदेश को निरस्त किया जाता है और अपास्त किया जाता है। विभाग याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और वे याचिकाकर्ता को इस उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनुमति भी देंगे और दिनांक 16.01.2023 को उनके द्वारा पहले पारित आदेश से स्वतंत्र एक बोलने वाला आदेश पारित करेंगे। यह काम शीघ्रता से किया जाएगा बशर्ते याचिकाकर्ता तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करे।”

9. इस प्रकरण को देखते हुए, चूंकि अपीलार्थी/करदाता ने ई-मेल के माध्यम से नोटिस की तामिली का विकल्प नहीं चुना और यहां तक कि यह उत्तरवादी-राजस्व का प्रकरण नहीं है कि अपीलार्थी को फॉर्म 35 में उल्लिखित उसके ई-मेल पते पर नोटिस दिया गया है और इसके अलावा, 1961 के अधिनियम की धारा 282 और आयकर नियम, 1962 के नियम 127 के अधीन निहित प्रावधानों के प्रकाश में **मुंजाल बीसीयू सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिए गए विधि के सिद्धांतों का पालन करते हुए आईटीबीए पोर्टल (ई-पोर्टल) पर नोटिस अपलोड करना नोटिस की वैध तामिली नहीं माना जा सकता है, हमारा विचार है कि सीआईटी (ए) और विद्वान आईटीएटी, रायपुर द्वारा क्रमशः दिनांक 14.02.2024 और 16.08.2024 को पारित आदेश, अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया गैर-अभियोजन, अवैध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य हैं।



10. तदनुसार, सी. आई. टी. (ए) और आई. टी. ए. टी., रायपुर द्वारा क्रमशः 14.02.2024 और 16.08.2024 दिनांकित पारित आदेशों को इसके द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी/निर्धारिती के साथ-साथ उत्तरवादी-राजस्व को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने और विधि के अनुसार नए आदेश को शीघ्रता से पारित करने के बाद प्रकरण पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रकरण संबंधित सी. आई. टी. (ए.) को भेजा जाता है। पक्षकारों को उक्त उद्देश्य के लिए संबंधित सी. आई. टी. (ए) के समक्ष दिनांक 24.04.2025 पर उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

11. परिणामस्वरूप, यह अपील ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है। कोई वाद व्यय नहीं।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

सही/-

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।